(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

<u>महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण</u>

जी. संख्या 227 **नई दिल्ली** **27 नवबंर, 2009**

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 वां) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा, कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) के प्रचलित दरमान की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है ।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं.टीएएमपी/63/2005-सीओपीटी

आदेश

(अक्तूबर, 2009 के 23 वें दिन पारित)

कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) के प्रचलित दरमान को 31 मार्च 2009 तक निर्धारित किया गया था, जिसे इस प्राधिकरण ने अपने ओदश दिनांक 28 जुलाई 2009 के द्वारा 31 अक्टूबर 2009 तक विस्तारित किया था जो 22 अगस्त 2009 को भारत का राजपत्र मे अधिसूचना संख्या जी-157 के द्वारा अधिसूचित हुआ है।

2. पत्तन के द्वारा दाखिल दरमान की सामान्य संशोधन की प्रस्ताव को विचार-विमर्श के लिए रखा गया है। 20 जून 2009 को संयुक्त सुनवाई परामर्शत्मक प्रक्रिया के रूप में गठन किया गया था। प्रस्ताव पर प्राधिकरण के द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचनाएँ/स्पष्टीकरण पत्तन से अभी तक प्रतिक्षित है। सीओपीटी के अपने जवाब को कम से कम 30 अक्टूबर 2009 तक प्रस्तुत करने का सलाह दिया जा चुका है।

3. पत्तन से सूचना प्राप्ति के बावजूद अंतिम निर्णय देने के पहले मामला को सूक्ष्म परीक्षण और विश्लेषण करने के लिए प्राधिकरण को और अधिक समय की आवश्यकता है।

4. इस स्थिति में, सीओपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता को 31दिसंबर 2009 तक विस्तारित किया जाता है या सीओपीटी के प्रशुल्क के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव पर पारित आदेश की कार्यान्वयन के प्रभावी तिथि तक, इसमें से जो भी पहले हों।

5. यदि इसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान, 1 अप्रैल 2009 के बादवाली अवधि मे स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसे निर्धारित किये जानेवाले प्रशुल्क मे पूर्णरूपेण समायोजित किया जायेगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा